मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

कमांकः एफ 11–87/06/बी–ग्यारह भोपाल दिनांक 1/2/2011

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल

2. प्रबंध संचालक,
म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन/
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन,
भोपाल

3. प्रबंध संचालक,
म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,
(समस्त)

4. संयुक्त संचालक उद्योग,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
(समस्त)

5. महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
(समस्त)

विषयः–मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 : अपील सम्बंधी प्रावधान के बारे में स्पष्टीकरण।

संदर्भः–विभागीय आदेश कमांक एफ–11–87/06/बी–11 दिनांक 1/7/2009. सहपठित समसंख्यक आदेश दिनांक 15/2/2010.

राज्य शासन द्वारा 'मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008' संदर्भित आदेश से जारी किये गये है। इन नियमों के अपील सम्बंधी प्रावधान के बारे में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:–

1/ मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के नियम (25) में अपील के सम्बंध में यह प्रावधान किया गया है कि इन नियमों के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी द्वारा पारित/जारी मूल आदेश से असंतुष्ट पट्टेदार/पक्षकार द्वारा ऐसा आदेश पारित होने से 90 दिवस की अवधि में आवंटन अधिकारी से उच्च अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। नियम (25) के प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट है कि केवल आवंटन अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यदि आवंटन अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मूल आदेश जारी किया गया है तो उसके विरूद्ध अपील परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी। इसी प्रकार जिस प्रकरण में आवंटन अधिकारी परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी है तो

उनके द्वारा जारी मूल आदेश के विरूद्ध अपील उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत की जा सकेगी, और यदि आवंटन अधिकारी के रूप में उद्योग आयुक्त द्वारा मूल आदेश जारी/पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी। आवंटन अधिकारी के रूप में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध पुनर्विचार हेतु अपील राज्य शासन के समक्ष ही प्रस्तुत होंगी।

2/ उक्तानुसार स्पष्ट है कि नियम (25) में आवंटन अधिकारी की हैसियत से महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी/उद्योग आयुक्त अथवा राज्य शासन द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध केवल एक ही अपील का प्रावधान है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध पुनः अपील उच्चतर अधिकारी/प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है अर्थात नियमों में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार जहां महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मूल आदेश के विरूद्ध परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी को प्रस्तुत की गई अपील, परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी के मूल आदेश के विरूद्ध उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत की गई अपील अथवा उद्योग आयुक्त के मूल आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को प्रस्तुत की गई अपील में अपीलीय प्राधिकारी यथा परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी अथवा उद्योग आयुक्त अथवा राज्य शासन द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का अथवा ऐसी अपील सुने जाने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है।

3/ उक्त प्रावधान स्पष्ट होने के बावजूद अधीनस्थ स्तर पर परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेशों के विरूद्ध पुनः द्वितीय अपील उद्योग आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है और ऐसी अपील पर उद्योग आयुक्त द्वारा सुनवाई भी की जाती है, जो नियमों की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार उद्योग आयुक्त द्वारा अपील प्रकरणों में पारित आदेशों के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य शासन को प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी अपीलों को नियमों के प्रावधानों को समझे बिना उच्च स्तर पर अपील के रूप में सुनवाई के लिए ग्राहय किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जो उचित नहीं है।

4/ नियमों में किये गये अपील सम्बंधी उक्त प्रावधान के अतिरिक्त नियम (28) में राज्य शासन को स्वप्रेरणा से किसी भी प्रकरण के अभिलेख को बुलाकर ऐसा आदेश पारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं जैसा कि राज्य शासन उचित समझे। इसी प्रकार की शक्तियां उद्योग आयुक्त/प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को भी प्राप्त हैं। नियम (28) के प्रावधान स्वप्रेरणा से किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के निर्णय की समीक्षा से सम्बंधित हैं न कि अपील से सम्बंधित । अतः नियम (28) के अन्तर्गत किसी पक्षकार को द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा आवंटन अधिकारी की हैसियत से कोई मूल आदेश अथवा अपीलीय प्राधिकारी की हैसियत से अपील प्रकरण में कोई आदेश पारित करने में ऐसी अनियमितता की गई हो, जिससे किसी पक्षकार के हित नियमों के विपरीत प्रभावित हुए हैं, तो ऐसे प्रकरणों में नियम (28) के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से सम्बंधित अधीनस्थ प्राधिकारी के निर्णय/कार्यवाही की समीक्षा करने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रावधान का उपयोग एक सामान्य अपील/अभ्यावेदन की सुनवाई के लिए नहीं किया जा सकता।

(भरत कुमार व्यास)
अपर सचिव,
म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग